पशु अतिचार अधिनियम, 1871

(1871 का 1) दिनांक 13-1-1871

पशुओं के अतिचार से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये अधिनियम।

उद्देश्य - यतः पशुओं द्वारा अतिचार से सम्बन्ध विधि को समेकित एवं संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1. नाम व विस्तार - यह अधिनियम पशु अतिचार अधिनियम, 1871 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों के सिवाय जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व भाग "ख" राज्यों में (मध्य भारत तथा सिरोंज क्षेत्र छोड़कर) समाविष्ट थे और प्रेसीडेन्सी नगरों, या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के सिवाय, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसके परिवर्तन से अपवर्तित करें, सम्पूर्ण भारत पर है।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विस्तार अधिनियम, 1958 (विधान क्र. 23, वर्ष 1958) की धारा (3) उपधारा (1) में यह प्रावधान यिा गया है कि वे विधान जो अनुसूची "अ" में वर्णित है तथा जो विधि महाकौशल क्षेत्र में लागू है तथा वे निर्धारित तिथि से मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्र मे लागू होंगे तथा पशु अतिचार नियम, 1871 अनुसूची "अ" में शामिल है अतः सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लाग है।

धारा 2. विधियों का निरसन - निरसित विधियों के निर्देश निरसित किये गये। निरसित अधिनियम (विधान क्र. 1, वर्ष 1938) धारा 2 एवं अनुसूची।

धारा 3. निर्वचन खंड - इस अधिनियम में पुलिस अधिकारी के अन्तर्गत "ग्राम चौकीदार" भी है, पशु के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंसे, घोड़ी, खस्सी, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ी, खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े, भेड़, भैंस, मेमने, बकरियाँ तथा बकरियों के बच्चे भी हैं।

"स्थानीय अधिकारी" से ऐसे व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं मामलों में नियंत्रण और प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय विनिहित है, और

"स्थानीय निधि" से किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबन्ध अधीन कोई निधि अभिप्रेत है।